रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

यू0आर0एस0 उ0 मा0 विद्यालय,
मावैसिया, कुण्डा, प्रतापगढ़ ।

पत्रांक : मा0 शि0 प0/मान्यता (इ) 837 इलाहाबाद : दिनांक 22-10-08

विषय : सीधे/हाई स्कूल (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7-क (क) के अन्तर्गत आपकी संस्था ~~यू0आर0एस0 उ0 मा0 विद्यालय, मावैसिया, कुण्डा, प्रतापगढ़~~ को बालक/~~बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2010 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वनटाइम) वित्तविहीन मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित दिये जाने का आदेश प्रदान किया है :--

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) प्रबंध तंत्र कक्षा 9 की कक्षायें संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, भवन, पुस्तकालय, प्रांगण, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें ।

(2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एव परिषद को 9वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी ।

(3) साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये ।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों की व्यवस्था के लिए संस्था उत्तरदायी होगी ।

को अपने स्रोतों से व्यवस्था के लिए संस्था उत्तरदायी होगी ।

(5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था संस्था द्वारा अपने स्रोतों से की जाय ।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे ।

कृ0 प0 उ0

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जावेगी ।

(ख) विद्यालय में कक्षा 9 व 10 के अतिरिक्त यदि अन्य कक्षायें संचालित की जायेगी तो वे अमान्य होंगी तथा हाईस्कूल का भाग नहीं होंगी ।

टिप्पणी--इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6 (छः) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा ।

22-10-08

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद ।
22-10-08

पृष्ठांकन सं० : मा० शि० प०/मान्यता (इ)   दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1--जिला विद्यालय निरीक्षक । प्रतापगढ़ ।

2--संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक । इलाहाबाद।

3--हाई स्कूल परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद,

4--सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद ।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद ।

पी० एस० यू० पी०—125 मा० शि० प०—15-9-2003, 10,000 प्रतियां (पी० डी०) ।

Scanned with OKEN Scanner